संख्या- पी-47/14-2-2016-800(44)/2016

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 2016

विषय- हाथरस में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0 द्वारा 132 के0वी0 डबल सर्किट सिकन्द्राराऊ-हसायन ओवरहेड पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.8714 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 17 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1941/हाथरस-16952/यूपी-208/2015, दिनांक 09-3-2016 एवं पत्र संख्या-1958/11सी, दिनांक 11-3-2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के एफ0एन0 संख्या-11-9/98/एफसी, दिनांक 13-2-2014 के दृष्टिगत हाथरस में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0 द्वारा 132 के0वी0 डबल सर्किट सिकन्द्राराऊ-हसायन ओवरहेड पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.8714 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 17 वृक्षों के पातन की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया जाता है:-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित 17 वृक्षों के सापेक्ष 170 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रस्तावक के व्यय पर प्रभावित 0.8714 हे0 संरक्षित वन भूमि के दुगुने अर्थात 1.7428 हे0 अवनत वन भूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव वन विभाग के माध्यम से कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-

shasanadesh.up.nic.in/govtra

एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा

(7) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अत: प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/mra

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(22) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-7-25-एफसी, दिनांक 05-5-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(23) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग,लागिंग एवं ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(24) प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने से पूर्व भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

shasanadesh.up.nic.in/sg/intra

(25) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-पी-47(1)/14-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोधी रोड, नई दिल्ली/क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज लखनऊ।
2- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3- जिलाधिकारी, हाथरस।
4- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
5- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पो0 लि0 अलीगढ़।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(23) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा जनपद इटावा में ताखा-तहसील के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताखा के निर्माण हेतु सिहुआ वन ब्लाक की 0.96 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित है।

टीपें और आज्ञायें

कृपया वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सहमति की स्थिति में **अंश 'क'** पर अंकित प्रस्ताव एवं तत्सम्बंधी आलेख्य पर विशेष सचिव/सचिव@प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

shasanadesh.up.nic.in/go/infra

टीपें और आज्ञायें

<u>वि0पत्र</u>

<u>क्रमांक-</u>मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2015

<u>अनुसचिव</u>

कृपया वि0पत्र का अवलोकन करें।

2- वि0पत्र के माध्यम से मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वेद व्यासपुरी योजना में निर्माणाधीन 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन को उर्जीकृत करने हेतु भूमिगत विद्युत केबिल डालने में रिठानी वन ब्लाक की 0.022 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शासन से स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

3- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित निम्न श्रेणी के कार्यो को, जो 1.00 हे0 से कम के हों, को अनुमोदित करने का प्राधिकार राज्य सरकार को दिया गया है:-

1. Schools;
2. Dispensaries/hospitals;
3. **Electric and tele communication lines;**
4. Drinking water projects;
5. Water/rainwater harvesting structures;
6. Minor irrigation canals;
7. Non-conventional sources of energy;
8. Skill up-gradation/vocational training centres;
9. Power sub-stations;
10. Communication posts;
11. Construction/widening of roads including approach roads to road side establishinents;

टीपें और आज्ञायें

12. Upgradation/strengthening/widening of existing bridges by the Border Roads Organization (BRO); and

shasanadesh.up.nic.in/GO/intra

13. Police establishments like police stations/outposts/border outposts/watch towers in sensitive areas identified by the Ministry of Home Affairs.

उक्त 13 श्रेणी के कार्यो में प्रस्तुत परियोजना में उल्लिखित कार्य बिन्दु-3, से सम्बंधित प्रतीत होता है, जो 1.00 हे0 से कम का भूमिगत विद्युत केबिल डालने से सम्बंधित है।

4- प्रस्तुत प्रस्ताव मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से प्रस्तुत किया गया है, जो 1.00 हे0 से कम का है तथा बिना वृक्ष् पातन के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बंधित है। प्रस्तावित स्थल सेन्च्युरी क्षेत्र से सम्बंधित नहीं है। अतएव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृति अपेक्षित है।

5- विषयगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 22-9-2015 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 के दृष्टिगत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रस्तावित वन भूमि की अधिसूचना, परियोजना की स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने की उपयुक्तता, वृक्षारोपण हेतु जमा किये जाने वाले धनराशि की बचनबद्धता, शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान किये जाने की वचनबद्धता, डिजिटल डाटा मानचित्र, एफ0आर0ए0 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, का प्रमाण पत्र, प्रपत्र के भाग- 1,2,3 व 4 में सक्षम अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति एवं प्रस्ताव की ऑन लाईन डाटा इन्ट्री आदि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

shasanadesh.up.nic.in/gomti

टीपें और आज्ञायें

6- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

7- इस संबंध में भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 के आलोक में विषयगत प्रकरण मे सैद्धान्तिक **स्वीकृति** के आलेख्य में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गत किया जाना प्रस्तावित है-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(7) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी

shasanadesh.up.nic.in/gotra

अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अत: प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

टीपें और आज्ञायें

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

टीपें और आज्ञायें

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(22) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-7-25-एफसी, दिनांक 05-5-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(23) प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने से पूर्व भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(24) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वेद व्यासपुरी योजना में

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

निर्माणाधीन 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन को ऊर्जीकृत करने हेतु भूमिगत विद्युत केबिल डालने में रिठानी वन ब्लाक की 0.022 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव उचित प्रतीत होता हे। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित है।

टीपें और आज्ञायें

कृपया वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सहमति की स्थिति में **अंश 'क'** पर अंकित प्रस्ताव एवं तत्सम्बंधी आलेख्य पर विशेष सचिव/सचिव@प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

टीपें और आज्ञायें

वि0पत्र

क्रमांक-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2015

अनुसचिव

कृपया गत पृष्ठ पर अंकित पृच्छा के क्रम में वि0पत्र का अवलोकन करें।

2- वि0पत्र के माध्यम से गत पृष्ठ पर की गयी पृच्छा का निराकरण निम्नवत किया गया है:-

की गयी पृच्छा		आख्या
(1)	भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित 13 श्रेणियों में भूमिगत केबिल का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में विषयगत प्रस्ताव के अनुमोदन का स्तर क्या है।	शासन अनुमोदन का स्तर बताया गया।
(2)	विषयगत परियोजना में प्रभावित 0.168 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्तावित किया गया है। जबकि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में केबिल बिछाये जाने हेतु 0.108 हे0 संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता बतायी गयी है।	विषयगत परियोजना में रक्षित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में केबिल बिछाये जाने हेतु 0.168 हे0 संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता बतायी गयी है। पताका/क

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(3)	जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रदत्त एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रदत्त एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न। पताका/ख

3- मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विद्युत निर्माण खण्ड (चतुर्थ) लेसा द्वारा जनपद लखनऊ में एस0एच0-25(लखनऊ-पलिया) के किमी0 260.40 से 264.20 तक कुल 3.8 किमी0 में 33/11 के0वी0उपकेन्द राधा ग्राम हेतु 33 के0वी0भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.168 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शासन से अनुरोध किया गया है।

4- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित निम्नलिखित श्रेणी के कार्यो को, जो 1.00 हे0 से कम के हों, को अनुमोदित करने का प्राधिकार राज्य सरकार को दिया गया है:-

1. Schools;
2. Dispensaries/hospitals;
3. **Electric and telecommunication lines;**
4. Drinking water projects;
5. Water/rainwater harvesting structures;
6. Minor irrigation canals;
7. Non-conventional sources of energy;
8. Skill up-gradation/vocational training centres;
9. Power sub-stations;
10. Communication posts;

shasandesh.up.nic.in/gomira

11. Construction/widening of roads including approach roads to road side establishinents;

12. Upgradation/strengthening/widening of existing bridges by the Border Roads Organization (BRO); and

टीपें और आज्ञायें

13. Police establishments like police stations/outposts/border outposts/watch towers in sensitive areas identified by the Ministry of Home Affairs.

5- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया जनपद लखनऊ में एस0एच0-25(लखनऊ-पलिया) के किमी0 260.40 से 264.20 तक कुल 3.8 किमी0 में 33/11 के0वी0उपकेन्द राधा ग्राम हेतु 33 के0वी0भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.168 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव 1.00 हे0 से कम सरकारी विभाग/ निगम से सम्बन्धित है,जिसमें भूमिगत केबिल डाले जाने से सम्बन्धित है, जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 08-10-2015 के माध्यम से शासन स्तर से अनुमति दिये जाने का कथन अंकित किया गया है, जो भारत सरकार के आदेश दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित 13 श्रेणियों में श्रेणी-3 से सम्बंधित प्रतीत होता है।

6- प्रस्तुत प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता,विद्युत निर्माण खण्ड (द्वितीय) लेसा की तरफ से प्रस्तुत किया गया है, जो 1.00 हे0 से कम का है तथा बिना वृक्ष् पातन के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बंधित है। प्रस्तावित स्थल सेन्च्युरी क्षेत्र से सम्बंधित नहीं है। अतएव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृति अपेक्षित है।

7- प्रस्तावक विद्युत निर्माण खण्ड (द्वितीय) लेसा है द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य

shasanadesh.up.nic.in/govirtu

एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में उ0प्र0 कैम्पा में जमा जायेगी।

8- विषयगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 11-3-2015 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन

टीपें और आज्ञायें

दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 के आलोक में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रस्तावित वन भूमि की अधिसूचना, परियोजना की स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने की उपयुक्तता, वृक्षारोपण हेतु जमा किये जाने वाले धनराशि की बचनबद्धता, शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान किये जाने की वचनबद्धता, डिजिटल डाटा मानचित्र, एफ0आर0ए0 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, का प्रमाण पत्र, प्रपत्र के भाग- 1,2,3 व 4 में सक्षम अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति एवं प्रस्ताव की ऑन लाईन डाटा इन्ट्री आदि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

9- इस संबंध में भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 के आलोक में विषयगत प्रकरण मे सैद्धान्तिक **स्वीकृति** के आलेख्य में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गत किया जाना प्रस्तावित है-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं

shasanadesh.up.nic.in/gointra

10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

टीपें और आज्ञायें

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(7) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

टीपें और आज्ञायें

(16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(22) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-7-25-एफसी, दिनांक 05-5-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(23) प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(24) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा विद्युत निर्माण खण्ड (चतुर्थ) लेसा द्वारा जनपद लखनऊ में एस0एच0-25(लखनऊ-पलिया) के किमी0 260.40 से 264.20 तक कुल 3.8 किमी0 में 33/11 के0वी0उपकेन्द राधा ग्राम हेतु 33 के0वी0भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.168 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव उचित प्रतीत होता हे। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित है।

टीपें और आज्ञायें

कृपया वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सहमति की स्थिति में **अंश 'क'** पर अंकित प्रस्ताव एवं तत्सम्बंधी आलेख्य पर विशेष सचिव/सचिव@प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

shasanadesh.upnic.in/go/intra

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

टीपें और आज्ञायें

<u>अनुसचिव</u>

कृपया गत पृष्ठ-5 पर अंकित पृच्छा तत्क्रम में प्राप्त अनुमोदन का अवलोकन करे।

2- पत्रावली के पृष्ठ-5 पर की गयी पृच्छा पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 01-5-2015 के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज के पत्र दिनांक 03-11-2014 की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जो पताका/स पर अवलोकनीय है। परियोजना के प्रेषण में संस्तुति के बिन्दु पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 01-5-2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के प्रपत्र 4 एवं 5 पर परियोजना की संस्तुति करते हुये भारत सरकार प्रेषित की गयी है।

इस प्रकार उक्तानुसार पृष्ठ -5 पर की गयी पृच्छा का समाधान हो जाता है।

3- पत्रावली में जनपद कन्नौज में विकास खण्ड-उमर्दा के निकट ग्राम रपुरापुर में पाण्डु नदी पर सेतु के अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण हेतु औसेर वन ब्लाक की 0.72 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 5-12-2014 में उल्लेख किया है कि प्रस्तावक द्वारा वन संरक्ष्ण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। इस सम्बंध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने पत्र दिनांक 10-11-2014 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक द्वारा वन भूमि पर कार्य न करके अपने भूमि पर कार्य किया गया है। भाग-2 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का तथ्य अंकित किया गया है। विषयगत प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 28-8-2014 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 05-12-2014 के द्वारा मूल रूप में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 के आलोक में यदि प्रस्ताव **Creation of critical development & security related infrastructure से सम्बंधित है, तो** विचार करते हुये भारत सरकार के दिशा-निर्देश् दिनांक 13-2-2014 के मानकों के अनुरूप निर्णय लेने हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को वापस किया गया है।

sansadesh.up.nic.in/go/intra

4- तदनुसार मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 12-12-2014 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 के आलोक में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर स्वीकृति प्रदान

टीपें और आज्ञायें

किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रस्तावित वन भूमि की अधिसूचना, परियोजना की स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने की उपयुक्तता, वृक्षारोपण हेतु जमा किये जाने वाले धनराशि की बचनबद्धता, शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान किये जाने की बचनबद्धता डिजिटल डाटा मानचित्र, एफ0आर0ए02006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, का प्रमाण पत्र, प्रपत्र के भाग- 1,2,3 व 4 में सक्षम अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति एवं प्रस्ताव की ऑन लाईन डाटा इन्ट्री प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

6- इस संबंध में दिनांक 21-8-2014 के आलोक में विषयगत प्रकरण मे सैद्धान्तिक **स्वीकृति** के आलेख्य में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गत किया जना प्रस्तावित है-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 0.72 हे0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष औसेर वन ब्लाक में दो गुने भूमि अर्थात 1.44 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/govt/a

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या - एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

टीपें और आज्ञायें

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(7) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अत: प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक

shasanadesh.up.nic.in/so/intra

विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

टीपें और आज्ञायें

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(22) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13-2-2014 के शर्त संख्या-(xiii)

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार / सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।

(23) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा जनपद कन्नौज में विकास खण्ड-उमर्दा के निकट ग्राम रपुरापुर में पाण्डु नदी पर सेतु के अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण हेतु औसेर वन ब्लाक की 0.72 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये अनुमति का प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित है।

टीपें और आज्ञायें

कृपया वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सहमति की स्थिति में अंश 'क' पर अंकित प्रस्ताव एवं तत्सम्बंधी आलेख्य पर विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

टीपें और आज्ञायें

<u>वि0पत्र</u>

<u>क्रमांक-</u>मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र दिनांक 21 अगस्त, 2015

<u>अनुसचिव</u>

कृपया वि0पत्र का अवलोकन करें।

2- वि0पत्र के माध्यम से लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद उन्नाव में सफीपुर-मियागंज मार्ग (नानी की कोठरिया) से सिद्धनाथ नई बस्ती लिंक मार्ग निर्माण में 0.3304 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शासन से अनुरोध किया गया है।

3- पत्रावली के गत पृष्ठ पर अंकित पृच्छा पर शासन के पत्र दिनांक 10-7-2015 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 21-8-2015 के माध्यम से वनाधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी का मूल प्रमाण पत्र, टोपोशीट मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल चिन्हित करते हुये एवं गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता अभिकरण एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपलब्ध कराया गया है।

4- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि

forms.nsandesh.up.nic.in/go/intra

के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित निम्न श्रेणी के कार्यो को, जो 1.00 हे0 से कम के हों, को अनुमोदित करने का प्राधिकार राज्य सरकार को दिया गया है:-

1. Schools;
2. Dispensaries/hospitals;
3. Electric and telecommunication lines;
4. Drinking water projects;
5. Water/rainwater harvesting structures;

टीपें और आज्ञायें

6. Minor irrigation canals;
7. Non-conventional sources of energy;
8. Skill up-gradation/vocational training centres;
9. Power sub-stations;
10. Communication posts;
11. ***Construction/widening of roads including approach roads to road side establishinents;***
12. Upgradation/strengthening/widening of existing bridges by the Border Roads Organization (BRO); and
13. Police establishments like police stations/outposts/border outposts/watch towers in sensitive areas identified by the Ministry of Home Affairs.

उक्त 13 श्रेणी के कार्यो में प्रस्तुत परियोजना में उल्लिखित कार्य बिन्दु-11, से सम्बंधित प्रतीत होता है, जो 1.00 हे0 से कम का सड़क चौड़ीकरण से सम्बंधित है।

5- प्रस्तुत प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग की तरफ से प्रस्तुत किया गया है, जो 1.00 हे0 से कम का है तथा बिना वृक्ष् पातन के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बंधित है। प्रस्तावित स्थल सेन्च्युरी क्षेत्र से सम्बंधित नहीं है। अतएव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृति अपेक्षित है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

6- विषयगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 11-3-2015 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 के दृष्टिगत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रस्तावित वन भूमि की अधिसूचना, परियोजना की स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण

टीपें और आज्ञायें

कराये जाने की उपयुक्तता, वृक्षारोपण हेतु जमा किये जाने वाले धनराशि की बचनबद्धता, शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान किये जाने की वचनबद्धता, डिजिटल डाटा मानचित्र, एफ0आर0ए0 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, का प्रमाण पत्र, प्रपत्र के भाग- 1,2,3 व 4 में सक्षम अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति एवं प्रस्ताव की ऑन लाईन डाटा इन्ट्री आदि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

8- इस संबंध में भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 के आलोक में विषयगत प्रकरण मे सैद्धान्तिक **स्वीकृति** के आलेख्य में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गत किया जाना प्रस्तावित है-

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

टीपें और आज्ञायें

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(7) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अत: प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक

shasanadesh.up.nic.in/go/mtra

रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

टीपें और आज्ञायें

(16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(22) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13-2-2014 के शर्त संख्या-(xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।

(23) प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(24) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद उन्नाव में सफीपुर-मियागंज मार्ग (नानी की कोठरिया) से सिद्धनाथ नई बस्ती लिंक मार्ग निर्माण में 0.3304 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव उचित प्रतीत होता हे। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित है।

टीपें और आज्ञायें

कृपया वर्णित तथ्यों के द्रष्टिगत सहमति की स्थिति में **अंश 'क'** पर अंकित प्रस्ताव एवं तत्सम्बंधी आलेख्य पर विशेष सचिव/सचिव@प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

टीपें और आज्ञायें

<u>वि0पत्र</u>

क्रमांक-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र दिनांक 23 जून 2015

<u>उप सचिव</u>

कृपया वि0पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से जनपद बुलन्दशहर में ग्राम चिरचिटा (चिटटा) से धरपा तक 33 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.0132 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

2- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

सरकार को प्राधिकृत किया गया है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित निम्न कार्यो, जो 1.00 हे0 से कम के हों, को अनुमोदित करने का प्राधिकार राज्य सरकार को दिया गया है:-

1. Schools;
2. Dispensaries/hospitals;
3. ***Electric and telecommunication lines;***
4. Drinking water projects;
5. Water/rainwater harvesting structures;
6. Minor irrigation canals;
7. Non-conventional sources of energy;
8. Skill up-gradation/vocational training centres;
9. Power sub-stations;
10. Communication posts;
11. Construction/widening of roads including approach roads to road side establishinents;
12. Upgradation/strengthening/widening of existing bridges by the Border Roads Organization (BRO); and
13. Police establishments like police stations/outposts/border outposts/watch towers in sensitive areas identified by the Ministry of Home Affairs.

टीपें और आज्ञायें

उक्त 13 श्रेणी के कार्यो में प्रस्तुत परियोजना में उल्लिखित कार्य बिन्दु-3, से सम्बंधित प्रतीत होता है, जो 1.00 हे0 से कम का सड़क चौड़ीकरण से सम्बंधित है।

3- प्रस्तुत प्रस्ताव विद्युत वितरण निगम की तरफ से प्रस्तुत किया गया है, जो 1.00 हे0 से कम का है तथा बिना वृक्ष् पातन के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बंधित है। प्रस्तावित स्थल सेन्च्युरी क्षेत्र से सम्बंधित नहीं है। अतएव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृति अपेक्षित है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

4- प्रस्तावक विभाग ऊर्जा है द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

4- विषयगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 11-3-2015 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 के आलोक में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रस्तावित वन भूमि की अधिसूचना, परियोजना की स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने की उपयुक्तता, वृक्षारोपण हेतु जमा किये जाने वाले धनराशि की बचनबद्धता, शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान किये जाने की वचनबद्धता, डिजिटल डाटा मानचित्र, एफ0आर0ए0 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, का प्रमाण पत्र, प्रपत्र के भाग- 1,2,3 व 4 में सक्षम अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति एवं प्रस्ताव की ऑन लाईन डाटा इन्ट्री आदि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 में विहित

टीपें और आज्ञायें

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

6- इस संबंध में भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 के आलोक में विषयगत प्रकरण मे सैद्धान्तिक **स्वीकृति** के आलेख्य में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गत किया जाना प्रस्तावित है-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(7) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अत: प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

टीपें और आज्ञायें

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

टीपें और आज्ञायें

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(22) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-7-25-एफसी, दिनांक 05-5-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(23) प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(24) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा जनपद बुलन्दशहर में ग्राम चिरचिटा (चिटटा) से धरपा तक 33 के0व0 विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.0132 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव उचित

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

प्रतीत होता हे। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित है।

टीपें और आज्ञायें

कृपया वर्णित तथ्यों के द्रष्टिगत सहमति की स्थिति में **अंश 'क'** पर अंकित प्रस्ताव एवं तत्सम्बंधी आलेख्य पर विशेष सचिव/सचिव@प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

shasanadesh.upnic.in/go/intra

टीपें और आज्ञायें

<u>वि0पत्र</u>

<u>क्रमांक-</u>मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र दिनांक 25 मार्च, 2015

<u>अनुसचिव</u>

कृपया वि0पत्र का अवलोकन करें।

2- वि0पत्र के माध्यम से जनपद मैनपुरी में लोक निर्माण विभाग द्वारा जन कल्याण इण्टर कालेज से लोहारीपुर मार्ग पर ईंट भट्ठे तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अंजनी वन ब्लाक की 0.428 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शासन से अनुरोध किया गया है।

3- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि

के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित निम्न कार्यो को, जो 1.00 हे0 से कम के हों, को अनुमोदित करने का प्राधिकार राज्य सरकार को दिया गया है:-

1. Schools;
2. Dispensaries/hospitals;
3. Electric and telecommunication lines;
4. Drinking water projects;
5. Water/rainwater harvesting structures;
6. Minor irrigation canals;
7. Non-conventional sources of energy;
8. Skill up-gradation/vocational training centres;
9. Power sub-stations;
10. Communication posts;
11. ***Construction/widening of roads including approach roads to road side establishinents;***
12. Upgradation/strengthening/widening of existing bridges by the Border Roads Organization (BRO); and
13. Police establishments like police stations/outposts/border outposts/watch towers in sensitive areas identified by the Ministry of Home Affairs.

उक्त 13 श्रेणी के कार्यो में प्रस्तुत परियोजना में उल्लिखित कार्य बिन्दु-11, से सम्बंधित प्रतीत होता है, जो 1.00 हे0 से कम का सड़क चौड़ीकरण से सम्बंधित है।

4- प्रस्तुत प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग की तरफ से प्रस्तुत किया गया है, जो 1.00 हे0 से कम का है तथा बिना वृक्ष् पातन के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बंधित है। प्रस्तावित स्थल सेन्च्युरी क्षेत्र से सम्बंधित नहीं है। अतएव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृति अपेक्षित है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

5- विषयगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 11-3-2015 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 13-2-2014 के आलोक में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रस्तावित वन भूमि की अधिसूचना, परियोजना की स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने की उपयुक्तता, वृक्षारोपण हेतु जमा किये जाने वाले धनराशि की बचनबद्धता, शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान किये जाने की वचनबद्धता, डिजिटल डाटा मानचित्र, एफ0आर0ए0 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, का प्रमाण पत्र, प्रपत्र के भाग- 1,2,3 व 4 में सक्षम अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति एवं प्रस्ताव की ऑन लाईन डाटा इन्ट्री आदि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 में विहित

टीपें और आज्ञायें

व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

7- इस संबंध में भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 के आलोक में विषयगत प्रकरण मे सैद्धान्तिक **स्वीकृति** के आलेख्य में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गत किया जाना प्रस्तावित है-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995

shasanadesh.up.nic.in/GO/intra

के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(7) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अत: प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

टीपें और आज्ञायें

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

टीपें और आज्ञायें

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

shasanadesh.up.nic.in/gointra

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(22) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13-2-2014 के शर्त संख्या-(xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।

(23) प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(24) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा जनपद मैनपुरी में लोक निर्माण विभाग द्वारा जन कल्याण इण्टर कालेज से लोहारीपुर मार्ग पर ईंट भट्ठे तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अंजनी वन ब्लाक की 0.428 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव उचित प्रतीत होता हे। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित है।

टीपें और आज्ञायें

कृपया वर्णित तथ्यों के द्रष्टिगत सहमति की स्थिति में **अंश 'क'** पर अंकित प्रस्ताव एवं तत्सम्बंधी आलेख्य पर विशेष सचिव/सचिव@प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

और आज्ञायें

<u>अनुसचिव</u>

कृपया गत पृष्ठ पर अंकित पृच्छा का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के पत्र दिनांक 13-2-2014 में कौन-कौन से कार्य 1.00 हे0 से कम राज्य सरकार को अधिकार दिये गये हैं, क्या प्रस्तावित कार्य उक्त श्रेणी में आते हैं, के सम्बंध में कतिपय जिज्ञासा की गयी हैं।

उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित निम्न कार्यो को, जो 1.00 हे0 से कम के हों, को अनुमोदित करने का प्राधिकार राज्य सरकार को दिया गया है:-

1. Schools;
2. Dispensaries/hospitals;
3. Electric and telecommunication lines;
4. Drinking water projects;
5. Water/rainwater harvesting structures;
6. Minor irrigation canals;
7. Non-conventional sources of energy;
8. Skill up-gradation/vocational training centres;
9. Power sub-stations;
10. Communication posts;
11. ***Construction/widening of roads including approach roads to road side establishinents;***
12. Upgradation/strengthening/widening of existing bridges by the Border Roads Organization (BRO); and

shasanadesh.up.nic.in/govintra

13. Police establishments like police stations/outposts/border outposts/watch towers in sensitive areas identified by the Ministry of Home Affairs.

उक्त 13 श्रेणी के कार्यो में प्रस्तुत परियोजना में उल्लिखित कार्य बिन्दु-11, से सम्बंधित प्रतीत होता है, जो 1.00 हे0 से कम का सड़क चौड़ीकरण से सम्बंधित है।

2- पत्रावली में जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के किमी0 496 में डालीगंज चौराहे से चौक मार्ग पर हाथी पार्क के निकट लोक निर्माण

टीपें और आज्ञायें

विभाग द्वारा रेलवे भूमि पर रेलवे अण्डर पास का चौड़ीकरण हेतु 0.0205 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

3- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 व दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

प्रस्तुत प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग की तरफ से प्रस्तुत किया गया है, जो 1.00 हे0 से कम का है तथा 02 वृक्षों के पातन के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बंधित है, और सेन्च्युरी क्षेत्र से सम्बंधित नहीं है। अतएव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 व दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृति अपेक्षित है।

4- तदनुसार मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 11-3-2015 के माध्यम से भारत सरकार,

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 व दिनांक 13-2-2014 के आलोक में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रस्तावित वन भूमि की अधिसूचना, परियोजना की स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने की उपयुक्तता, वृक्षारोपण हेतु जमा किये जाने वाले धनराशि की बचनबद्धता, शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान किये जाने की वचनबद्धता, डिजिटल डाटा मानचित्र, एफ0आर0ए0 2006 के

टीपें और आज्ञायें

अन्तर्गत जिलाधिकारी, का प्रमाण पत्र, प्रपत्र के भाग- 1,2,3 व 4 में सक्षम अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति एवं प्रस्ताव की ऑन लाईन डाटा इन्ट्री आदि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

6- इस संबंध में भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 के आलोक में विषयगत प्रकरण मे सैद्धान्तिक **स्वीकृति** के आलेख्य में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गत किया जना प्रस्तावित है-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

टीपें और आज्ञायें

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(7) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अत: प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त

shasanadesh.up.nic.in/gs/intra

वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

टीपें और आज्ञायें

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

(21) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

कटिंग,फैलिंग एवं ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(22) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(23) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13-2-2014 के शर्त संख्या-(xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।

(24) प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने से रेलवे विभाग का अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना होगा।

(25) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

टीपें और आज्ञायें

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के किमी0 496 में डालीगंज चौराहे से चौक मार्ग पर हाथी पार्क के निकट लोक निर्माण विभाग द्वारा रेलवे भूमि पर रेलवे अण्डर पास का चौड़ीकरण हेतु 0.0205 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव उचित प्रतीत होता हे। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित है।

कृपया वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सहमति की स्थिति में अंश 'क' पर अंकित प्रस्ताव एवं तत्सम्बंधी आलेख्य पर विशेष सचिव/सचिव महोदय के माध्यम से विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

sansanadesh.up.nic.in/go/intra

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

टीपें और आज्ञायें

<u>अनुसचिव</u>

कृपया गत पृष्ठ पर अंकित पृच्छा का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के पत्र दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित 13 केटेगरीज से विद्युत केबिल आच्छादित है, के बिन्दु को स्पष्ट करने के आदेश दिये गये है।

2- विषयगत प्रकरण पर भारत सरकार के पत्र दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित 13 केटेगरीज में क्रमांक- 3 पर **Electric and telecomunication lines** अंकित है और विषयगत प्रस्ताव में 'विद्युत केबिल' का उल्लेख होने के कारण स्वीकृति हेतु मुख्य वन

संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 13-01-2015 के द्वारा प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ वापस किया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव भारत सरकार, के पत्रांक-10-9-2014 के अनुसार 1.00 से कम है तथा संरक्षित क्षेत्र/राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से आच्छादित नही है। अतएव प्रस्ताव का पुन: परीक्षण करते हुये निस्तारित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- सूच्य है कि भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

4- चूँकि विषयगत प्रस्ताव राज्य सरकार का एक कारपोरेशन है, और 1.00 हे0 से कम है। तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 13-01-2015 के द्वारा मूल रूप में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश दिनांक 10-9-2014 के आलोक में विचार करते हुये मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को वापस किया गया है।

तदनुसार मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मथुरा में विद्युत नगरीय वितरण खण्ड दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 मथुरा द्वारा 132 के0वी0 सब स्टेशन से जिला चिकित्सालय मथुरा तक विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत केबिल डालने हेतु 0.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

टीपें और आज्ञायें

5- प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रस्तावित वन भूमि की अधिसूचना, परियोजना की स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने की उपयुक्तता, वृक्षारोपण हेतु जमा किये जाने वाले धनराशि की बचनबद्धता, शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान किये जाने की वचनबद्धता, डिजिटल डाटा मानचित्र, एफ0आर0ए0 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, का प्रमाण पत्र, प्रपत्र के

shasandesh.up.nic.in/gofintra

भाग- 1,2,3 व 4 में सक्षम अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति एवं प्रस्ताव की ऑन लाईन डाटा इन्ट्री प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

6- प्रस्तुत प्रस्ताव भारत सरकार के पत्र दिनांक-10-9-2014 के अनुसार 1.00 से कम का है और राज्य सरकार का एक कारपोरेशन है तथा संरक्षित क्षेत्र/राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से आच्छादित नही है। अतएव प्रस्ताव पर अनुमोदन राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित है।

7- इस संबंध में दिनांक 10-9-2014 के आलोक में विषयगत प्रकरण मे सैद्धान्तिक **स्वीकृति** के आलेख्य में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गत किया जना प्रस्तावित है-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या - एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

टीपें और आज्ञायें

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(7) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

shasanadesh.up.nic.in/Forest/intra

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अत: प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

टीपें और आज्ञायें

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय

shasanadesh.up.nic.in/gomitra

कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(22) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या- 7-25/2012-एफसी, दिनांक 05 मई, 2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(23) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13-2-2014 के शर्त संख्या-(xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।

(23) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

टीपें और आज्ञायें

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा मथुरा में विद्युत नगरीय वितरण खण्ड दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 मथुरा द्वारा 132 के0वी0 सब स्टेशन से जिला चिकित्सालय मथुरा तक विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत केबिल डालने हेतु 0.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उपलब्ध कराया कया प्रस्ताव उचित प्रतीत होता हे। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित है।

कृपया वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सहमति की स्थिति में **अंश 'क'** पर अंकित प्रस्ताव एवं तत्सम्बंधी आलेख्य पर विशेष सचिव/सचिव महोदय के माध्यम से विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

टीपें और आज्ञायें

<u>अनुसचिव</u>

कृपया गत पृष्ठ-5 पर अंकित आदेश का अवलोकन करें।

2- पत्रावली में जनपद कन्नौज में विकास खण्ड-उमर्दा के निकट ग्राम रपुरापुर में पाण्डु नदी पर सेतु के अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण हेतु औसेर वन ब्लाक की 0.72 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में पत्रावली उच्चादेशार्थ प्रस्तुत किया गया । विषयगत प्रस्ताव को विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

पत्रावली में की गयी कतिपय जिज्ञासाओं के सम्बंध में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनांक 03-11-2014 के साथ प्रस्ताव के सम्बंध में संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ से अनुरोध कर लिया जाय। तदनुसार विषयगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति का आदेश निर्गत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है

shasanadesh.up.nic.in/goinfra

टीपें और आज्ञायें

<u>वि0पत्र</u>

क्रमांक- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र दिनांक 12-12-2014

<u>अनुसचिव</u>

कृपया वि0 पत्र का अवलोकन करें।

2- वि0पत्र के माध्यम से जनपद कन्नौज में विकास खण्ड-उमर्दा के निकट ग्राम रपुरापुर में पाण्डु नदी पर सेतु के अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण हेतु औसेर वन ब्लाक की 0.72 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 5-12-2014 में उल्लेख किया है कि प्रस्तावक द्वारा वन संरक्ष्ण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। इस सम्बंध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने पत्र दिनांक 10-11-2014 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक द्वारा वन भूमि पर कार्य न करके अपने भूमि पर कार्य किया गया है। भाग-2 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का तथ्य अंकित किया गया है।

3- विषयगत प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 28-8-2014 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 05-12-2014 के द्वारा मूल रूप में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 के आलोक में यदि प्रस्ताव **Creation of critical development & security related infrastructure से सम्बंधित है, तो** विचार करते हुये भारत सरकार के दिशा-निर्देश् दिनांक 13-2-2014 के मानकों के अनुरूप निर्णय लेने हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को वापस किया गया है।

shrsamadesh.up.nic.in/e0/intra

4- तदनुसार मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 12-12-2014 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 के आलोक में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर स्वीकृति प्रदान

टीपें और आज्ञायें

किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रस्तावित वन भूमि की अधिसूचना, परियोजना की स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने की उपयुक्तता, वृक्षारोपण हेतु जमा किये जाने वाले धनराशि की बचनबद्धत, शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान किये जाने की वचनबद्धत, डिजिटल डाटा मानचित्र, एफ0आर0ए02006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, का प्रमाण पत्र, प्रपत्र के भाग- 1,2,3 व 4 में सक्षम अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति एवं प्रस्ताव की ऑन लाईन डाटा इन्ट्री प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5- भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 21-8-2014 तथा दिनांक 13-2-2014 में विहित व्यवस्थानुसार 1.00 हे0 के सरकारी विभाग/बोर्डस/ निगम/कार्पो0 इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्तावों पर अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

6- इस संबंध में दिनांक 21-8-2014 के आलोक में विषयगत प्रकरण मे सैद्धान्तिक **स्वीकृति** के आलेख्य में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन आदेश निर्गत किया जना प्रस्तावित है-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 0.72 हे0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष औसेर वन ब्लाक में दो गुने भूमि अर्थात 1.44 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/gofirst

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या - एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

टीपें और आज्ञायें

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(7) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अत: प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

टीपें और आज्ञायें

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(22) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13-2-2014 के शर्त संख्या-(xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार / सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।

(23) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा जनपद कन्नौज में विकास खण्ड-उमर्दा के निकट ग्राम रपुरापुर में पाण्डु नदी पर सेतु के अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण हेतु औसेर वन ब्लाक की 0.72 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बंध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये अनुमति का प्रस्ताव उचित प्रतीत होता हे। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित है।

टीपें और आज्ञायें

कृपया वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सहमति की स्थिति में अंश 'क' पर अंकित प्रस्ताव एवं तत्सम्बंधी आलेख्य पर विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra